Regd. No. J. 80

राजस्थान राज-पत्र

सत्यमेव जयते

विशेषांक

Rajasthan Gazette

EXTRAORDINARY

साधिकार प्रकाशित] [Published by Authority

चैत्र १९, शुक्रवार, शक सम्वत् १८८७—अप्रेल ९, १९६५

Chaitra 19, *Friday*, *Shak Samvat* 1887—*April* 9, 1965

भाग ४ (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम

LAW (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 9, 1965.

No. F. 7 (1)-L/65.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 9th day of April, 1965, and is published for general information.

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS) (AMENDMENT) ACT, 1965.

(Act No. 7 of 1965)

[*Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 1965.*]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) (Amendment) Act, 1965.

2. *Insertion of new section 6C in Rajasthan Act 6 of 1957.*—After section 6B of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), the following new section shall be inserted, namely:—

"6C. *Residence of Leader of Opposition.*—(1) Subject to rules, if any, made in this behalf, the Leader of the Opposition shall be entitled without payment of rent to the use of a furnished residence in Jaipur, during the period he continues to be such leader and for a period of fifteen days immediately thereafter, and no charge shall fall on him personally in respect of the maintenance of such residence.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*a*) "Leader of the Opposition" means that member of the Rajasthan Legislative Assembly who is for the time being the leader in that Assembly of the party in opposition to the Government having the greatest numerical strength in that Assembly; and

(*b*) "residence" includes the staff-quarters and other buildings appurtenant thereto, and the garden thereof, and "maintenance" in relation to a residence includes the provision of electricity and water not exceeding the limits specified in clauses (*a*) and (*b*) of section 6A.

(2) If any doubt arises as to which is or was at any material time the party in opposition to the Government having the greatest numerical strength in the Assembly, or as to who is or was at any material time the leader in that Assembly of such a party, the question shall be decided for the purposes of this section by the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, and his decision in writing under his hand, shall be final and conclusive."

SOHANLAL AGRAWAL,

Secretary to the Government

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल ९, १९६५

संख्या एफ. ७ (१) एल।६५:—राजस्थान राज-भाषा अधिनियम, १९५६ (अधिनियम ४७ सन् १९५६) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान लेजिसलेटिव असेम्बली (आफीसर्स एण्ड मैम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, १९६५ का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है ।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अधिनियम, १९६५

(अधिनियम संख्या ७ सन् १९६५)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३ अप्रेल, १९६५ को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९५६ में और संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के सोलहवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

१. **संक्षिप्त नाम:**—यह अधिनियम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

२. **राजस्थान अधिनियम ६, सन् १९५७ में नई धारा ६-गा का निवेशन:**— राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९५६ (राजस्थान अधिनियम ६, सन् १९५७) की धारा ६-खा के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा निविष्ट की जायगी, अर्थात्:—

"६-गा. **विरोधी दल के नेता का निवासस्थान:**—(१) इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, विरोधी दल का नेता, ऐसी अवधि के लिये जिसमें वह ऐसा नेता बना रहता है और उसके ठीक बाद में पन्द्रह दिन की अवधि के लिये, एक भाटक-मुक्त सुसज्जित निवासस्थान का उपयोग करने का अधिकारी होगा, तथा उक्त निवासस्थान के संधारण सम्बन्धी व्यय का भार भी व्यक्तिगत रूप से विरोधी दल के नेता पर नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनार्थ,—

(क) "विरोधी दल के नेता" से तात्पर्य राजस्थान विधान सभा के उस सदस्य से है जो तत्समय विधान सभा में सरकार विरोधी दल, जिसकी कि सदस्य संख्या विधान सभा में सर्वाधिक हो, का नेता हो; और

(ख) "निवासस्थान" में कर्मचारी वर्ग के निवास-गृह (staff quarters) तथा उनसे संलग्न अन्य भवन और उनका बगीचा भी सम्मिलित है, और निवास-स्थान के सम्बन्ध में "संधारण" में बिजली और पानी के लिये प्रावधान, जो धारा ६-का के खंड (क) तथा (ख) में निर्धारित सीमा से अधिक न हो, सम्मिलित है।

(२) यदि कोई संदेह उत्पन्न हो कि किसी समय विशेष पर विधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला सरकार विरोधी दल कौनसा है या था, अथवा किसी समय विशेष पर विधान सभा में उक्त दल का नेता कौन है या था तो इस धारा के प्रयोजनार्थ इस प्रश्न का निर्णय राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किया जायगा और उनका निर्णय, जिस पर उनके हस्ताक्षर होंगे, अन्तिम और निश्चायक होगा।"

सोहनलाल अग्रवाल,
शासन सचिव।

४

Government Central Press, Jaipur.